प्रथम सत्र, 2003

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 07 चैत्र, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 28 मार्च, 2003)

समय : 3 : 00 बजे अपराह्न

1. शुभारम्भ "वन्दे मातरम्" (देखिये नत्थी "क")।

2. श्री अध्यक्ष, श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनायेगें।

3. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. वित्त मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) उत्तरांचल विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

...2/...

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(4) भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का अठ्ठारहवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

...3/...

8. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

10. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

11. नियम 315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा ।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. कृषि मंत्री, उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972)} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेगें।

14. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेगें।

15. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेगें।

16. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेगें।

17. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेगें।

18. शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेगें।

19. वित्त मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेगें।

...4/...

20. वित्त मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेगें।

21. सहकारिता मंत्री, उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेगें।

22. सहकारिता मंत्री, उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगें।

23. सहकारिता मंत्री, उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेगें।

24. सहकारिता मंत्री, उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

25. परिवहन मंत्री, उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेगें।

26. परिवहन मंत्री, उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेगें।

27. वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण।

28. वित्त मंत्री, उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

29. वित्त मंत्री उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

30. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये।

31. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पारित किया जाये।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 28 मार्च, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

(क)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

श्री मातबर सिंह कण्डारी 4.2.2003	*1. क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सरकार के ऊपर कितना कर्ज़ का बोझ है? इस कर्ज़े के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के 1500 करोड़ रूपये के घाटे को किस प्रकार पूरा किया जायेगा?	वित्त
श्री प्रीतम सिंह पंवार 29.1.2003	*2. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के शहीदों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की सरकारी नीति क्या है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक कितने शहीद आश्रितों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है? क्या सरकार शेष शहीद आश्रितों को रोजगार उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक
श्री बलबीर सिंह नेगी 29.1.2003	*3. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हिमालयन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, जौलीग्रन्ट देहरादून में चालू शैक्षणिक सत्र में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में श्री अतुल कुमार तथा कु0 सपना को जिस वर्ग के लिए आरक्षित सीट में प्रवेश दिया गया है, वे उस श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं है ? यदि हाँ, तो उपर्युक्त को प्रवेश दिलाने के लिए संस्तुति करने कि लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यो?	चिकित्सा शिक्षा
श्री मदन कौशिक 29.1.2003	*4. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये जिले तथा तहसीलों के गठन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो सरकार की कितने नये जिले तथा तहसील बनाने की योजना है? उस योजना का प्रारूप क्या है?	प्रथम बुध के तारा0 9 में स्था0

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 29.1.2003	*5. क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 22 नवम्बर, 2002 की रात्रि में जनण्द पौड़ी गढ़वाल के ग्राम-पंचुर-यमकेश्वर से ग्राम-गनोली एक बारात दुगड्डा आते समय गनोली पुल टूट जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और अधिकांश बाराती गम्भीर रूप से घायल हो गये? यदि हाँ, तो क्या उक्त दुर्घटना हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी? क्या मृतका के परिवार एवं घायलों को उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	मुख्यमंत्री कार्यालय
श्री काज़ी निज़ामुद्दीन 7.2.2003	*6. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की औद्योगिक नीति क्या है तथा सरकार द्वारा इसके प्रचार प्रसार तथा कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?	औद्योगिक विकास
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 7.2.2003	*7. क्या गन्ना मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत खादर-दोआब क्षेत्र में प्रतिबंधित गन्ना प्रजाति, बी.ओ.-91 के स्थान पर किसी अन्य प्रजाति, को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त नई प्रजाति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं? यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश के मानकों के अनुरूप जल प्लावित क्षेत्र खादर के गन्ना किसानों का बी.ओ.-91 प्रजाति का गन्ना अन्य गन्ना प्रजातियों से रू0 2.50 प्रति कुन्तल कम दर पर कय किये जाने का निर्णय लिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना विकास
श्री प्रकाश पंत 11.2.2003	*8. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेगे कि 10 अप्रैल, 2002 को भूमि सरंक्षण अधिकारी बागेश्वर के पास से काफलीगैर, बागेश्वर नामक स्थान से 3.70 लाख रू0 जब्त किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिकारी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरूद्ध विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करेगी? यदि नही, तो क्यों?	तृतीय शुक्र के तारा0 4 में स्था0
श्री बिशन सिंह चुफाल 13.2.2003	*9. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सोबला द्वितीय चरण विद्युत परियोजना द्वारा कुल कितने किलोवाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है तथा उक्त परियोजना की कुल लागत क्या है? क्या वर्तमान में परियोजना का कार्य चल रहा है? यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने रूपये खर्च किये जा चुके हैं?	ऊर्जा
डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल 17.2.2003	*10. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक

श्रीमती आशा नौटियाल 18.2.2003	*11. क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगत्स्यमुनि में स्नातक स्तर पर वणिज्य, विज्ञान बी. एड. एवं एल.एल.बी. के विषयों को प्रारम्भ करने का विषय सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 22.2.2003	*12. क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि सरकार नई पर्यटन नीति के तहत उत्तरांचल के चार धामों की यात्रा के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए क्या-क्या व्यवस्था कर रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम शुक्र के तारा0 9 में स्था0
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 22.2.2003	*13. क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जो भी स्थानान्तरण प्रदेश के कर्मचारियों के किये गये उसके लिए कोई नीति बनाई गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त नीति की घोषण कब की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक
श्री अजय भट्ट 24.2.2003	*14. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में सरकार ने उत्तरांचल से बाहर की कुछ संस्थाओं द्वारा विद्युतीकरण हेतु सर्वे कराया है? यदि हाँ, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा इनके द्वारा जनपदवार कुल कितने गाँवों का सर्वे किया गया है? इस सर्वे में कुल कितना धन सरकार द्वारा दिया गया है? क्या इन गाँवों के विद्युतीकरण का कार्य भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?	ऊर्जा

अतारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 29.1.2003	1. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में विद्युत बिलों के वितरण की क्या व्यवस्था है? क्या विद्युत बिलों को बैंकों अथवा डाकघरों में जमा कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 30.1.2003	2. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने विदेशी नागरिक अवैध रूप से निवास कर रहे हैं? क्या सरकार द्वारा इस विषय में छान-बीन की जा रही है? यदि हाँ, तो अब तक कितने विदेशियों को वापस भेजा जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 31.1.2003	3. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकासखण्ड चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा में स्थापित राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो सरकार कब तक चयनित भूमि पर भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 3.2.2003	4. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सचिवालय में परिवहन निगम एवं अन्य निगमों के सम्बद्ध वाहन चालकों का समायोजन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर-निकायों एवं निगमों के उत्तरांचल सचिवालय में सम्बद्ध कर्मचारियों का भी समायोजन करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सचिवालय प्रशासन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 6.2.2003	5. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हे0नं0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में एल0एल0बी0 कक्षाएं खोलने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में एल0एल0बी0 की कक्षाएं खोलेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 6.2.2003	6. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हे0नं0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से पी0जी0 स्तर पर एम0ए0 ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, संगीत (संगीत एवं वादन) की कक्षाएं खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र हित में उक्त विषय खोलने की अनुमति प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 7.2.2003	7. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार किसानों को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति देने पर विचार कर रही है? क्या छोटे कृषकों के 5 हॉर्सपावर क्षमता वाले हैण्ड पम्पों एवं ट्यूबवैलों हेतु आधे दाम पर बिजली देने का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा

श्री काज़ी निज़ामुद्दीन 7.2.2003	8. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कौन-कौन से स्थान 'औद्योगिक क्षेत्र' घोषित किये गये हैं?	औद्योगिक विकास
श्री काज़ी निज़ामुद्दीन 7.2.2003	9. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना पेराई सत्र, 2003-04 के लिए सरकार द्वारा चीनी मिलों में पेराई शुरू करने के लिए कोई तिथि निर्धारित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना विकास
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 11.2.2003	10. क्या मुख्य मंत्री भिज्ञ हैं कि लक्सर तहसील (जनपद हरिद्वार) का सृजन सन् 1990 में हो जाने के बावजूद भी लक्सर में अभी तक मुंसिफ कोर्ट {सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)} की स्थापना नहीं की गई है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को लगभग 70 कि0मी0 दूर रोशनाबाद कोर्ट जाने में कठिनाई होती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में लक्सर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	न्याय
श्री मातबर सिंह कण्डारी 13.2.2003	11. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने राजकीय आलू फार्म हैं? प्रत्येक की लाभ हानि की स्थिति क्या है? क्या सरकार घाटे में चल रहे राजकीय आलू फार्मों को घाटे से उबारने के लिए कोई योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम गुरू के अता0 87 में स्था0
श्री नारायण सिंह जंतवाल 13.2.2003	12. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नैनीताल शहर में सांइस संग्रहालय स्थापित करने पर अपनी सहमति दी गई है? यदि हाँ, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	संस्कृति
श्री मदन कौशिक 14.2.2003	13. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002 में कितने आई0ए0एस0 अफसरों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की जाँच करायी गयी? उनमें से अब तक किन-किन को दण्डित किया गया है और कितनों के विरूद्ध जाँच लम्बित है?	कार्मिक
श्री बिशन सिंह चुफाल 14.2.2003	14. क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1999 में ग्राम कुकरोती के कुछ परिवारों को विद्युत आपूर्ति की गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष बचे परिवारों को विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी?	ऊर्जा
श्री बिशन सिंह चुफाल 14.2.2003	15. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में दारिम गाँव में वर्ष 1994-95 में अतिवृष्टि से विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त हो गयी थी? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन को ठीक करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा

श्री नारायण राम आर्य 14.2.2003	16. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि रा0 महाविद्यालय गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ में छात्रों ने नवम्बर, 2002 में भूख़ हड़ताल के समय अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?	उच्च शिक्षा
श्री गोपाल सिंह राणा 15.2.2003	17. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खटीमा, जनपद उधमसिंह नगर में सितम्बर, 1994 को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान खटीमा गोली काण्ड के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक बनाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो शहीद स्मारक निर्माण की कार्यवाही कब प्रारम्भ होगी? यदि नहीं, तो क्यों?	संस्कृति
श्री गोपाल सिंह राणा 15.2.2003	18. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल विद्युत गृह लोहिया हेड खटीमा जिला उधमसिंह नगर के सुदृढ़ीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो सुदृढ़ीकरण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री बिशन सिंह चुफाल 15.2.2003	19. क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में ऐराड़ी दुदिला गाँव में 1995 में मात्र विद्युत पोल गाढ दिये गये थे? क्या सरकार विद्युतीकरण के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करायेगीं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
श्री तसलीम अहमद 17.2.2003	20. क्या मुख्य मंत्री अवगत हैं कि राज्य में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित राज्याधीन सेवाओं में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसम्बर, 1992 में पारित आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-22/16/92-टी.सी./92, दिनांक 4/1/1993 का राज्य में अनुपालन नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक
श्री मातबर सिंह कण्डारी 5.2.2003	21. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के पश्चात् कितनी शिक्षण संस्थाओं को एम0बी0ए0, बी0बी0ए0, बी0आई0टी0एस0 तथा कम्प्यूटर के लिए मान्यता दी गयी है? क्या यह सत्य है कि कतिपय शिक्षण संस्थाओं को बिना मानक पूर्ण किये मान्यता दी गई है? यदि हाँ, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री मदन कौशिक 18.2.2003	22. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज घोषणा के पश्चात् कुल कितने उद्यमियों ने उद्योग लगाने हेतु आवेदन किया है तथा सरकार द्वारा कितने उद्योगों को स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई?	उद्योग
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 19.2.2003	23. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में सरकारी नियुक्तियों पर लगाई गई रोक हटाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? क्या जनहित में सरकार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कार्मिक

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 19.2.2003	24. क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मण्डलायुक्त गढ़वाल का कैम्प न्यायालय सप्ताह में दो दिन देहरादून में लगता है? क्या यह सत्य है कि जनपद हरिद्वार के वादकारियों को देहरादून आने जाने में कठिनाई होती है? क्या सरकार जनहित में मण्डलायुक्त गढ़वाल का कैम्प न्यायालय, हरिद्वार के जनपद मुख्यालय रोशनाबाद में सप्ताह में दो दिन आयोजित कराने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम बुध के अता0 55 में स्था0
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 19.2.2003	25. क्या मुख्य मंत्री जी को यह ज्ञात है कि सन् 1995 में लक्सर जनपद हरिद्वार में हुए जनान्दोलन में पुलिस फायरिंग से मृत श्री अजय गुप्ता पुत्र श्री जय प्रकाश गुप्ता के आश्रितों को पाँच लाख रूपये का मुआवज़ा तथा उनके परिवार के एक विकलांग आश्रित को सरकारी सेवा में सेवायोजित किये जाने का आश्वासन शासन द्वारा दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उक्त परिवार को अभी तक न तो मुआवज़े की पूरी धनराशि का भुगतान हुआ है और न ही विकलांग आश्रित को सेवायोजित किया गया है? उक्त परिवार को कब तक राहत प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
श्री हरबंस कपूर 20.2.2003	26. क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि देहरादून नगर में डाईवर्जन रोड तिराहा तथा बल्लूपुर चौराहे पर लगाए गए फुव्वारों पर कितना व्यय हुआ? क्या यह सत्य है कि फुव्वारे लगाने के पश्चात् ही चलने बंद हो गये और आज तक नहीं चले? क्या महोदय यह भी बतायेंगे कि इन फुव्वारों को फिर से चलाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम मंगल के अता0 103 में स्था0
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 22.2.2003	27. क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल हाई कोर्ट नैनीताल में स्थापित होने के बाद अभी भी उत्तरांचल से संबंधित मुकद्दमों की हज़ारों फाइलें इलाहाबाद हाईकोर्ट से नैनीताल हाईकोर्ट स्थानांतरित न होने से वादकारियों को बड़ी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन पत्रावलियों को शीघ्र नैनीताल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कराने हेतु त्वरित कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त पत्रावलियाँ नैनीताल हाईकोर्ट पहुँच जायेंगी?	न्याय
श्री मातबर सिंह कण्डारी डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 25.2.2003	28. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी ऐसी जल विद्युत परियोजनायें हैं जिसपर धनाभाव के कारण कार्य बंद है? इन जल विद्युत परियोजनाओं पर कितना-कितना धन खर्च हो रखा है? क्या सरकार जनपद चमोली एवं रूद्रप्रयाग में स्थित लघु जल विद्युत परियोजनायें कोठियालसैंण, कुण्ड, तिलवाड़ा, गोविन्दघाट, पाण्डुकेशर, पाणमती को पुनर्जीवित करने एवं इन बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को चालू किये जाने पर विचार कर रही है?	ऊर्जा

श्री बलबीर सिंह नेगी 25.2.2003	29. क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में तैनात होम गार्ड के जवानों को विगत कुछ महीनों से वेतन न मिलने के क्या कारण हैं? क्या मंत्रीजी अवगत हैं कि पिछले वर्ष विधान सभा चुनाव में तैनाती का भत्ता भी आज तक होमगार्ड के जवानों को नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?	गृह
श्री मातबर सिंह कण्डारी 26.2.2003	30. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार हर विद्युत उपभोक्ता को कब तक मीटर उपलब्ध करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ऊर्जा
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 26.2.2003	31. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक यह स्थापित हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्योग
श्री मातबर सिंह कण्डारी 27.2.2003	32. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2001-02 में क्या सरकार द्वारा 14 राजकीय महाविद्यालय प्रदेश में खोले गये थे? क्या सरकार इन महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 28.2.2003	33. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में उत्तरांचल राज्य के आन्दोलन में कितने लोग लाठी चार्ज से घायल हुए थे? क्या यह सत्य है कि श्री भगत सिंह ग्राम कोदिमा पट्टी रानीगढ़ जिला रूद्रप्रयाग भी, इस आन्दोलन में लाठी चार्ज से कान की चोट से बहरा हो गया? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा श्री भगत सिंह को कोई सुविधा प्रदान की गई? यदि नहीं, तो क्यों?	गृह
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 28.2.2003	34. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली हेतु जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2002-2003 हेतु अनुमोदित धनराशि के विरूद्ध विभिन्न विभागों को विकास कार्य सम्पादित कराने हेतु पूर्ण धनराशि आवंटित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोम के अता0 6 में स्था0

नत्थी "घ"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2003 की बैठक में दिनांक 31 मार्च से 4 अप्रैल, 2003 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

मार्च, 2003

31 सोमवार

(1) उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972)} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (**आधा घण्टा**)

(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (**आधा घण्टा**)

(3) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (**आधा घण्टा**)

(4) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (**आधा घण्टा**)

(5) धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

(6) नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा :-
श्री मदन कौशिक-"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु नीति बनाकर इसे लागू किया जाय।"

...2/...

अप्रैल, 2003

01 मंगलवार	(1) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (**एक घण्टा**)
	(2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
02 बुधवार	(1) उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (**एक घण्टा**)
	(2) उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (**एक घण्टा**)
	(3) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
03 गुरूवार	(1) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।
04 शुक्रवार	(1) श्री कौल दास द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा :- "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल के समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों पर बालिका इण्टर कालेज प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु आय-व्ययक में विशेष प्राविधान किया जाय।"
	(2) निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-
	(क) श्री बलवीर सिंह- "यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों के सुधार व मरम्मत कार्य हेतु खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध तकनीकी आंगणन के अनुसार सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर द्वितीय खण्ड को 3.00 करोड़ रूपये का आवंटन कर दिया जाय।"
	(ख) श्रीमती विजय बड़थ्वाल-"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।"

...3/...

(ग) काजी निजामुद्दीन-"इस सदन का निश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।"

(घ) श्री मातबर सिंह कण्डारी-"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेलमार्गो की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।

(ङ) कुंवर प्रणव "चैम्पियन"- (माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया)।

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी "ङ"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. दो लाख लोगों को रोजगार देने का वादा पूर्ण न किए जाने और इस वर्ष प्रत्यक्ष सेवाओं में कम से कम 20 हजार नियुक्तियां करनें, 2. विशिष्ट बी0टी0सी0 डिप्लोमा इंजीनियर, फार्मासिस्ट, आई0टी0आई0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने, 3. खनन नीति में परिवर्तन कर स्थानीय लोगों के माध्यम से नदी चुगान आदि में प्राथमिकता देने तथा खनन पट्टा जारी करने का अधिकार उप जिलाधिकारी को सौंपने, 4. गन्ना तथा अन्य कृषि उपजों के समर्थन मूल्य की घोषणा करने तथा पूर्व निर्धारित मूल्य का भुगतान करने, 5. राज्य में भ्रष्टाचार का निदान करने, 6. पर्यटन को जन सहभागिता के साथ विकसित करने, 7. शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु उपाय करने, 8. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत विकास के तहत सड़क, स्कूल, अस्पताल स्वीकृत करने, 9. जनपद बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय खोलने।"

...2/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2.	श्री मातबर सिंह कण्डारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सौंराखाल भरदार (रूद्रप्रयाग) में आई0टी0आई0 खोलने, 2. जिला मुख्यालय रूद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय खोलने, 3. उपतहसील जखोली को पूर्ण तहसील बनाने, 4. सिद्धसौड (बडमा), किमाणा (फुटगढ़), घंगासू (बांगर), धोल्तीर (रानीगढ़), कांडई (बछणस्यूँ) तथा सौंराखाल भरदार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने, 5. जनपद मुख्यालय रूद्रप्रयाग में राजकीय पोलिटेक्निक कालेज खोलने, 6. तुनेट (भरदार), देवीधार (सिलगढ़) गहडखाल (बछणस्यूँ), पुलन (बांगर), अमकोटी (लस्या) हडेतीखाल (दश्ज्यूला), जसोली (रानीगढ़) तथा ग्वेफड धनपुर में राजकीय चिकित्सालय खोलने, 7. लस्तर नदी (रिखैंण) रहड़ (सिलगढ़), मन्दाकनी नदी (गंगतल), अलकनन्दा नदी धुर्येली (दश्ज्यूला), तथा अलकनन्दा नदी पपडासू (भरदार) में झूला पुल का निर्माण करने, 8. जखन्यालगाँव (बडमा), कोटी सेम (बडमा), सिखाडी, पुलन लिस्वाल्टा (बांगर), बक्सीर भुनालगाँव डाँगी खोड (पूर्वी बांगर) तथा गवाँणा (भरदार) में विद्युतीकरण की सुविधा देने, 9. तल्ला नागपुर, दश्ज्यूला, रानीगढ़, धनपुर, बछणस्यूँ तथा भरदार को मिलाकर रूद्रप्रयाग में नये विकास खण्ड का सृजन करने, 10. नगरासू जसोली डाँडाखाल, तिलवाड़ा सौराखाल, खांकरा कांडई खेडाखाल, जखोलीमीरी मोटर मार्गो का डामरीकरण करने, 11. शासन प्रशासन को चुस्त दुरूस्त करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने,

...3/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली देकर लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने एवं जले ट्रॉंस्फार्मरों को तत्काल बदलने,
		13. सम्पूर्ण उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करने,
		14. विकास खण्ड जखोली रूद्रप्रयाग के भवन का निर्माण करने,
		15. तिलवाड़ा में महिला चिकित्सालय खोलने,
		16. चिरबटिया, बांगर, बडमा, रानीगढ़, धनपुर बछणस्यूँ में फल पट्टी योजना शुरू करवाने,
		17. चिरबटिया (लस्या) में राजकीय आलू फार्म की स्थापना करने,
		18. रतूडा (धनपुर) में राजकीय आदर्श कृषि फार्म की स्थापना करने,
		19. खांकरा (बछणस्यूँ) में राजकीय डेरी फार्म की स्थापना करने,
		20. तुनेटा भरदार में गत्ता फैक्ट्री की स्थापना करने,
		21. हरियाली देवी, नैनादेवी, जखोली, चिरबटिया, सिद्धसौड, मंदियाणाखाल पर्यटक स्थलों का विकास कराने,
		22. जनपद रूद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उप वन संरक्षक, प्रबंधक उद्योग विभाग निरीक्षक मत्स्यपालन के पद सृजित कर उक्त पदों पर नियुक्ति दिलाने,
		23. धनकुराली नहर, तुनेट नहर, बरसारी नहर, पाँजणा नहर चाका नहर, खांकरा नहर, नगरासू नहर, चोपडा नहर, सुमाडी नहर, पन्द्रोला नहर धारी नहर की मरम्मत करवाने,
		24. बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रदेश में उद्योग धन्धों को लगाने,
		25. भवन विहीन बेसिक पाठशालाओं एवं भवन विहीन जूनियर हाई स्कूलों में भवन निर्माण कराने,

...4/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26. रा0उ0मा0वि0 तथा रा0इ0का0 में प्रधानाचार्यो एवं अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती कराने, 27. विकलाँग विधवाओं एवं वृद्धावस्था पेंशन का वितरण तत्काल करवाने, 28. किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान तत्काल करवाने, 29. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छूटे परिवारों को बी0पी0एल0 के कार्डो की सुविधा देने, 30. दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में खुले अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति करने, 31. मानक के आधार पर दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यपकों की नियुक्ति करने, 32. प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त कर उत्तरांचल को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने।"
3.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को उत्तर प्रदेश भेजे जाने के लिए उन्हें कार्यमुक्त कर रिक्त स्थान पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने, 2. प्रदेश की स्थायी राजधानी की घोषणा कर अस्थाई राजधानी में बेहिसाब हो रहे खर्चो पर रोक लगाकर स्थाई राजधानी के निर्माण व विकास किये जाने, 3. उत्तरांचल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के लिए केन्द्र सरकार को संस्तुति करने, 4. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने,

...5/..

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

5. प्रदेश में नौकरशाही को अनुशासित करने,
6. प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के लिये प्रभावी उपाय की घोषणा करने,
7. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रशिक्षित फार्मसिस्टों, बी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा धारी इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित व उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,
8. राज्य के भेड़ पालकों के उत्थान के लिए व उनके द्वारा उत्पादित ऊनी सामाग्री के विपणन की समुचित व्यवस्था करने,
9. अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप विकास नीति बनाने,
10. प्रदेश के बेरोजगारों की विषम आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जीवन यापन हेतु बेरोजगारी भत्ता दिये जाने तथा परीक्षा व साक्षात्कार में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने,
11. प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ईंधन स्रोतों के घटने के कारण रसोई गैस में प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था करने,
12. प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर खेल स्टेडियम की स्थापना करने,
13. प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति व जलवायु की अनुकूलतः के परिपेक्ष्य में बे-मौसमी सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, बागवानी के लिए ब्लाक स्तर पर प्रसार-प्रशिक्षण व्यवस्था कर उत्पादित सामग्री के बाजार की व्यवस्था करने,
14. उत्तराखण्ड की गौरवमयी संस्कृति को संरक्षित करने व समुचित स्थान प्रदान करने एवं क्षेत्रीय भाषाओं यथा गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी, भोटिया के विकास के लिए एक राज्य स्तरीय पृथक अकादमी की व्यवस्था करने,
15. गन्ना किसानों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने तथा चीनी मिलों द्वारा समयबद्ध भुगतान के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने,

...6/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

16. राज्य में कठिन कार्यों के बोझ तल्ले दबी महिलाओं के विकास के लिए पृथक नीति बनाये जाने,
17. टिहरी बाँध परियोजना के विस्थापितों की समस्या को हल करने के लिए समेकित एवं समयबद्ध नीति को घोषित करने,
18. मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सरकारी सेवा में लेने,
19. प्रदेश में स्तरीय शिक्षा के विकास के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करने,
20. वन विभाग में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को वृत स्तर पर नियमित करने व साधन सहकारी समिति सचिव, गणक, संग्रह अमीनों, लो0नि0वि0, जल संस्थान में कार्यरत पी0टी0सी0 सहित विभिन्न, निगमों में दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने,
21. प्रदेश में प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन कर प्रतापनगर, बड़कोट, कोटद्वार, रुड़की को अलग जनपद बनाए जाने,
22. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यो, प्रवक्ता व अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने,
23. चिन्यालीसौड़ व गौचर में स्थापित हवाई पट्टियों को सुदृढ़ कर वर्ष, 2003 यात्रा काल से वायु सेवा प्रारम्भ करने हेतु व्यवस्था करने,
24. स्वीकृत मोटर मार्गो भड़कोट-रौंतल, बगोडी, धरासू-रौंतल, धरासू-चमियारी, चिन्यालीसौड़-कोट (बागी), बडेथी-कांदला, भवान-नगुण, कल्याणी-तराकोट, सुलियाखोल-नौगाँव गोडर, चामी-सिंगुणी, नौगाँव-स्यूरी, चोपडा-वणगाँव, गमरागड-चोपडा सहित राज्य के सभी स्वीकृत मोटर मार्गो का कार्य प्रारम्भ करवाने तथा अधूरे पड़े मोटर मार्गो को पूरा करवाने सहित आवश्यक नए मार्गो के निर्माण करवाने,
25. इन्द्रकील पर्वत, जगदेई, नागटिब्बा, सेम, राड़ी देवराणा, मौरियाणा, डोडीताल सहित राज्य के सभी सुन्दर स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने,

...7/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26. प्रदेश में दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को विना भेदभाव के समान सहायता उपलब्ध कराये जाने।
4.	श्री नारायण पाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सितरागंज में बैगुल नदी के लगातार कटाव से भूमि की सुरक्षा के उपाय किए जाने, 2. ग्राम आस्ता, सितारगंज, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा सड़क, सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, का समुचित विकास किये जाने, 3. सितारगंज चीनी मिल के लम्बित गन्ना भुगतान अविलम्ब किये जाने, 4. थारू जनजाति में शिक्षा, चिकित्सा समेत समुचित विकास किये जाने, 5. नानमकत्ता क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने।"
5.	श्री हरबंस कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सीवर के पानी को खुले में छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने एवं विभाग के अधिकारियों को दंडित किये जाने, 2. देहरादून निगम की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने तथा निगम के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, 3. देहरादून निगम में सम्मिलित नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर मलिन बस्तियों को चिन्हित कर पंजीकृत किये जाने एवं मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सुधार कार्य किए जाने,

...8/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. 14-देहरादून विधान सभा क्षेत्र स्थित कौलागढ़, मन्नूगंज, शांतिविहार, गोविन्दगढ़, चुक्खुवाला, खुड़बुड़ा, राजेन्द्र नगर आदि क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत के परिप्रेक्ष्य में कौलागढ़, खुड़बुड़ा, चुक्खुवाला, गोविन्दगढ़ में एक-एक ट्यूवैल लगाए जाने, 5. मन्नूगंज, खुड़बुड़ा, लूनिया मोहल्ला आदि क्षेत्रों में गुजरने वाले गन्दे नाले का ढक्कनयुक्त किए जाने, 6. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रसारित गुच्छू पानी भट्टा, गूलर घाटी, पर्यटन योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच करने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किए जाने।"
6.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल की कौड़िया किनसार रोड का डामरीकरण करने, 2. लक्ष्मणझूला पांडव गुफा के नजदीक गंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण करने, 3. थल नदी, विकास खण्ड यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल में स्थित पालिटेनिक को महिला पालिटेकनिक कर महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने, 4. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत डाडामण्डी विकास खण्ड द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने, 5. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गैड़खाल, पौड़ी गढ़वाल में एक 20 शैया का अस्पताल खोलने, 6. स्वर्गाश्रम, पौड़ी गढ़वाल में औद्योगिक इकाई की स्थापना करने, 7. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के रा0उ0मा0 विद्यालय महादेव चट्टी का उच्चीकरण करने,

...9/..

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. पूर्व मा0 विद्यालय चोपड़ा, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल का उच्चीकरण करने।"
7.	श्री कैलाश शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. अल्मोड़ा नगर की जर्जर मुख्य सड़क की मरम्मत करने, 2. उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त हाईस्कूल/ईण्टरमीडिएट कालेजों को अनुरक्षण अनुदान देने, 3. अल्मोड़ा जनपद में भैसियाछाना विकास खण्ड में नैनीहरड़ा मोटर मार्ग का निर्माण करने, 4. अल्मोड़ा जनपद में भैसियाछाना विकास खण्ड के मंगतलता में झूलापुर का निर्माण करने, 5. अल्मोड़ा नगर के महिला चिकित्सालय के भवन के जीर्णोधार एवं कर्मचारी आवासीय भवन बनाने, 6. अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड हवालबाग के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के जीर्ण भवन की मरम्मत करने, 7. अल्मोड़ा नगर में टैक्सी स्टैण्ड बनाने, 8. हवाल-बसाली मोटर मार्ग को पूर्ण करने, 9. कोसी कसार देवी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने, 10. शेराघाट नाली मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण करने, 11. गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल अल्मोड़ा में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने।
8.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

...10/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत अधूरे पड़े मोथरोंवाला-दूधली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने, 2. जंगली हाथियों द्वारा नकरौड़ा, चांदमारी, माधोवाला, सतीवाला, दूधली, सिमलास, नागल, बुलन्दावाला आदि गांवों में कृषि उत्पादों में हो रही क्षति के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों की जीवन रक्षा की व्यवस्था करने, 3. राज्य आन्दोलन में गोलियों से घायल आन्दोलनकारियों को रोजगार उपलब्ध कराने, 4. राजीवनगर, डांडा वार्ड 2, देहरादून महानगर में घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाईनों को हटाने, 5. जनपद देहरादून में बिन्दाल नदी द्वारा क्लेमेंटाउन कैंट, इन्दिरा फार्म, मोथरोंवाला, दौड़वाला, सिमलास, खैरी, झबरावाला, बुल्लावाला गांवों में प्रतिवर्ष सैकड़ों बीघा भूमि के जलकटाव को रोकने, 6. बिन्दाल व सुसवा नदी में हो रहे अतिक्रमण को हटाने।
9.	श्री मदन कौशिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है" :- 1. प्रदेश कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु योजना बनाने, 2. प्रदेश के किसानों की जर्जर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बिजली एवं पानी की आपूर्ति निःशुल्क देने, 3. किसानों के गन्ने का उचित मूल्य एवं तुरन्त भुगतान किए जाने, 4. उत्तरांचल के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने, 5. प्रदेश में आबकारी नीति को प्रभावी बनाने, 6. प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परिवार नियोजन की किसी कार्ययोजना को बनाए जाने, 7. प्रदेश के नीजी इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्रकिया लागू करने,

...11/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. उत्तरांचल में मूल निवास प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल एवं उसे प्राप्त करने की सीमा निश्चित करने, 9. उत्तरांचल के व्यापारियों हेतु 'वैट' को सरलीकरण करने एवं उसमें छूट देने, 10. प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्यमियों को आकृषित करने, 11. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के पेंशन वृद्धि, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करने, 12. उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल/हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अनुरक्षण अनुदान देने की कोई कार्ययोजना बनाने, 13. प्रदेश में आई0एस0आई0 एवं माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने, 14. प्रदेश में सहकारिता के चुनाव जल्दी कराये जाने, 15. उत्तरांचल में गंगा को प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त रखने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने, 16. उत्तरांचल के विधायकों को विधायक निधि एक करोड़ किये जाने, 17. प्रदेश के गरीब लोगों को आर्थिक आरक्षण दिये जाने, 18. उत्तरांचल को शेष परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी तथा अधिकारों को दिलाने की समय सीमा निश्चित करने, 19. भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु स्पष्ट नीति बनाने, 20. राज्य की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाने, 21. व्यय कम करने हेतु मंत्रि मंडल के आधार को कम करने, 22. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में साईन्स डिग्री कालेज खोलने, 23. हरिद्वार में वर्ष भर पडने वाले मेलों को अधिसूचित कर यात्रियों की सुविधा हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने, 24. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने, 25. हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था करने, 26. हरिद्वार के पौराणिक महत्व के स्थलों को विकसित किये जाने, 27. हरिद्वार के ज्वालापुर में बस स्टैण्ड बनाने, 28. हरिद्वार में सिटी बस चलाने,

...12/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		29. हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने, 30. राज्य में गौ रक्षा आयोग के सम्बन्ध में, 31. हरिद्वार को पूर्णतया सीवरेज से जोडने, 32. उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों को पंचम् वेतनमान देने।"
10.	श्री माल चन्द	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. विधान सभा क्षेत्र पुरोला को जनपद बनाने, 2. राजगढ़ी को तहसील एवं मोरी को तहसील बनाने, 3. सूखे से पीड़ित लोंगो के लिए राहत देने, 4. गोविन्द पशु विहार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने, 5. गोविन्द पशु विहार में रहने वाले लोगों के लिए विकास से संबंधित कार्यो के लिए कोई नीति बनाने, 6. भेड़ पालकों को चरान चुगान की गोविन्द पशु विहार में व्यवस्था करने, 7. 30 कि0मी0 चलने वाले गाँव के लोगों के लिए सड़क बनाने, 8. विधान सभा क्षेत्र पुरोला में दूर दराज के गाँव के लोगो के लिए स्कूल खोलने, 9. ऊन से सम्बन्धित वस्त्र की लघु उद्योग इकाई स्थापित करने, 10. पर्वतीय क्षेत्र में ऊन की मण्डी एवं कार्डिंग प्लान्ट स्थापित करने, 11. बाढ़ से खेतों के कटान रोकने एवं कटान के लिए मुवावजा देने, 12. विधान सभा क्षेत्र पुरोला में जड़ी बूटी केन्द्र की स्थापना करने, 13. विधान सभा क्षेत्र पुरोला के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा डाक्टरों को नियुक्त करने।"

...13/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
11.	श्रीमती आशा नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. विधान सभा क्षेत्र, केदारनाथ, जिला-रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के उत्तराखण्ड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग शुरू करने, 2. विकास खण्ड, अगस्त्यमुनी, जनपद-रूद्रप्रयाग के कारगिल शहीद भगवान सिंह मोटर मार्ग को स्थान वासबाडा से मोहनखाल तक डामरीकरण करने, 3. तहसील, ऊखीमठ, जनपद-रूद्रप्रयाग, में बालिका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेज खोलने, 4. विकास खण्ड-अगस्त्यमुनी, जनपद-रूद्रप्रयाग, विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में तल्लानागपुर तथा वसुकेदार नये विकास खण्डों का सृजन करने, 5. विधान सभा केदारनाथ, के विकास खण्ड-अगस्त्यमुनी, में ग्राम इशाला, तेवडी, दौला कन्यास में पेयजल की सुविधा प्रदान करने, 6. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ व अगस्त्यमुनी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग, पैदल मार्ग, पैदल पुल व यात्री मार्गो का सुधार करने, 7. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जनपद-रूद्रप्रयाग में पर्यटक स्थलों व धार्मिक स्थलों का विकास जैसे-देवरियातल का सौन्दर्यीकरण, कार्तिक स्वामी में पैदल मार्ग निर्माण व सौन्दर्यीकरण, वसुकेदार मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करने, 8. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जनपद-रूप्रयाग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुमेरा, मणिगुह, भणज, रामपुर का उच्चीकरण करने।"
12.	श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया ह :-

...14/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1. जनपद चमोली की नन्दादेवी राजरात यात्रा मार्ग के लिए विशेष आवासीय भवन, निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने, 2. विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में खेल मैदान निर्माण को प्राथमिकता देने, 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने, 4. विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, 5. विकास खण्ड पोखरी में पूर्व में संचालित लोक निर्माण विभाग के डिविजन को पुनः खोलने, 6. विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के अनेकों गाँवों को विद्युतीकरण से जोडने, 7. विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के पेयजल सुविधा से वंचित गांवों क्वीठी कांण्डा, सिमलासू, जिलासू, मिलोठी मस्टगाँव, पगना, करूणमल्ला, मोली हिडोली सुनाली आदि गाँवों को प्राथमिकता से जोड़ने, 8. विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में रिक्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों, विद्यालय भवनों के निर्माण एवं रखरखाव को प्राथमिकता देने, 9. विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम वमोथ में गोचर-वमोथ को मोटर मार्ग पुल से प्राथमिकता के आधार पर जोडने, 10. शासन में विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु लम्बित लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता देने, 11. विकास खण्ड पोखरी में उडामाडा-चोपड़ा मोटर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने।"
13.	श्री विशन सिंह चुफाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राम गंगा नदी पर नामिक डीडीहाट में झूला पुल बनाने,

...15/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. दैवी आपदा में क्षतिग्रस्त डीडीहाट के गोरघट्यिां गाड़ जगथली में झूला पुल का निर्माण करने, 3. दैवी आपदा में डीडीहाट दूनाकोट में मेठीगाड़ तथा खेतार में पुलिया का निर्माण करने, 4. डीडीहाट में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने, 5. डीडीहाट के अलगड़ा पुर्नगठन पेयजल योजना का निर्माण करने, 6. डीडीहाट चौसाल लेक पेयजल योजना को कार्यान्वित करने, 7. डीडीहाट के नाचनी में हाईड्रम योजना बनाने।"
14.	श्री अनिल नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग का उच्चीकरण करने, 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैण का उच्चीकरण करने, 3. गौचर (चमोली) में स्टेडियम निर्माण करने, 4. गौचर (चमोली) में निर्मित हवाई पट्टी के दोनों ओर रास्ते एवं नाली निर्माण करने, 5. बगोली (कर्णप्रयाग) से चूला-गबनी मोटर मार्ग के बनाने, 6. देवागाड़ (गैरसैण) से कण्डारीखोड़ मोटर मार्ग बनाने, 7. नैल-देवपुरी (गैरसैण) से तलवाड़ी (थराड़ी) मोटर मार्ग बनाने, 8. बड़ेथ-पिण्डवाली (गैरसैण) एल0वी0आर0 को चौड़ा डामरीकरण के करने, 9. गडोत (गैरसैण) झूला पुल बनाने, 10. महाविद्यालय गैरसैण के भवन का निर्माण करने, 11. जू0हा0 स्कूल घण्डियाल (गैरसैण) एवं चूला (कर्णप्रयाग) का के उच्चीकरण करने, 12. छातोली, ग्वाड़, डुंगी, जसपुर (कर्णप्रयाग) एवं रणचौरा पांडवाखाल गोगनातल्ला-मल्ला (गैरसैण) आदि ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने, 13. सिमली-सेनू (कर्णप्रयाग) नहर का पुनः निर्माण करने।"

...16/...

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15.	श्री प्रकाश पन्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नई झील निर्माण का निर्माण करने, 2. जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में रिंग रोड का निर्माण करने, 3. पूर्व में स्वीकृत जी0आई0सी0-सुकाली-चमाली मोटर मार्ग, अशोक नगर भाटी गाँव मोटर मार्ग, बड़ाबे-तोली मोटर मार्ग, दिग्तोली-दयूड़ी मोटर मार्ग, बडारी-कांटेबोरा मोटर मार्ग क निर्माण करने, 4. नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ में सीवर लाइन का निर्माण करने, 5. नैनी-सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ का विस्तारीकरण कर वायु सेवा प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने, 6. जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, जिला महिला चिकित्सालय में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति करने, 7. पूर्व स्वीकृत अप्पूघर (बहुउद्देशीय पार्क) पिथौरागढ़ के निर्माण करने, 8. जनपद पिथौरागढ़ में रिक्त गोरखा राजाओं के किले को संरक्षित इमारत घोषित करने हेतु संस्तुति करने, 9. नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मोटर मार्गो को हाटमिक्स करने, 10. जाख-पुरान ग्राम समूह लिफ्ट पेयजल योजना पिथौरागढ़ का निर्माण करने।"
16.	श्री अजय भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. रानीखेत से चौबटिया तक रज्जू मार्ग बनाने, 2. रानीखेत में क्रीड़ा स्थल का निर्माण करने, 3. रानीखेत में छात्राओं की बढ़ती हुयी संख्या को देखते हुए एक जी0जी0आई0सी0 बनाने,

...17/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. रानीखेत नगर में पर्यटकों के वाहन पार्किंग हेतु टैक्सी स्टैण्ड बनाने,
		5. रानीखेत को जिला बनाने,
		6. मजखाली, जालली एवं मछोड़ को तहसील का दर्जा देने,
		7. ताड़ीखेत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण करने,
		8. खीरखेत एवं सूरी, बिल्लेख एवं बग्वान पर छोटे अस्पताल खोने जाने,
		9. गनियाद्योली-पाण्डेकोटा-बिशालकोठ सड़क का निर्माण करने,
		10. ताड़ीखेत-पीपली-मजूरखान सड़क का निर्माण करने,
		11. देवलीखेत-ड्योडाखाल-सिलोर महोदव सड़क का निर्माण करने,
		12. बेडगाँव-शीतलाखेत सड़क का निर्माण करने,
		13. द्वारसो-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने,
		14. चौबटिया-नागपानी सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
		15. ताड़ीखेत-पथूली सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
		16. ताड़ीखेत-जैना, ताड़ीखेत कोटाड सडको का कार्य प्रारम्भ करने,
		17. ताड़ीखेत-ऊणी मण्डलकोट सड़क कार्य प्रारम्भ करने,
		18. बिल्लेख-चापड़-भुजान सड़क की स्वीकृति प्रदान करने,
		19. गगास से चिलियानौला पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
		20. गगास से चमड़खान पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
		21. कोसी-शेर पम्पिंग योजना का निर्माण करने,
		22. कोसी-बिल्लेख पम्पिंग योजना का निर्माण करने,
		23. हाईस्कूल मण्डल कोट के भवन का निर्माण करने,
		24. हाईस्कूल बबूरखोला के भवन का निर्माण करने,
		25. इण्टर कालेज रधुली-पीपल के भवन निर्माण करने,
		26. अभ्याडी से रधुलीपीपल-कुणकोली सड़क का निर्माण करने,
		27. भुजान-रीची-बिल्लेख सड़क का डामरीकरण करने,
		28. देवलीखेत से सौला तक सड़क का डामरीकरण करने,
		29. काकडीघाट से शीतलाखेत तक सड़क का डामरीकरण करने,
		30. काकडीघाट से चौना तक सड़क का डामरीकरण करने,

...18/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31. चौबटिया-बमस्यूँ-कुनेलाखेत के शेष मार्ग को पूर्ण करने, 32. चौबटिया-कुनेलाखेत मार्ग का पाखुड़ा का डामरीकरण करने, 33. उप्राड़ी-सिंलगी-दूनाकोट सड़क का निर्माण करने, 34. पन्तकोटली-वलना तक सड़क का निर्माण करने, 35. खिरखेत से कारचूली तक के सड़क का निर्माण करने, 36. बन्द पड़ी सरस्वती वूलन मिल रानीखेत का पुनः संचालन करने, 37. को-आपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत को उत्तरांचल को सौपने, 38. जू0हा0 स्कूल सालीखेत का उच्चीकरण करने, 39. प्रा0पा0 लछीना को कन्या जू0हा0 स्कूल तक उच्चीकरण करने, 40. छावनी परिषद् के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी बनाने, 41. रानीखेत के उ0प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम डिपो को ताड़ीखेत स्थानान्तरित करने, 42. रा0 कन्या हाईस्कूल ताड़ीखेत के भवन का निर्माण करने, 43. रा0 चिकित्सालय बासुलीसेरा में चिकित्सकों की व्यवस्था करने, 44. नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में सर्जन एवं अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति करने, 45. रानीखेत-एरोड़-गगास सड़क का निर्माण करने, 46. नैनी-जाना-गगास सड़क का निर्माण करने, 47. उत्तरांचल में महिलाओं का जीवन स्तर उठाने, 48. उत्तरांचल के युवाओं को रोजगार देने, 49. गगास नदी के वनघट नामक स्थान पर पुल निर्माण करने, 50. रानीखेत को नगर पालिका बनाने।"
17.	काजी निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी की घोषणा करने,

...19/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. उत्तरांचल राज्य के प्रमुख शहीद स्थल रामुपुर तिराहे, जनपद मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 को उत्तरांचल राज्य की सीमा का विस्तार करके उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
		3. उर्दू एकेडमी की स्थापना करने,
		4. उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देने,
		5. ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने,
		6. जनपद हरिद्वार में सावन माह में कावडियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की घोषणा करने,
		7. कस्बा मंगलौर में राजकीय कन्या इन्टर कालेज की स्थापना करने,
		8. कस्बा मंगलौर में 50 शैय्या के अस्पताल की स्थापना करने,
		9. कस्बा मंगलौर में परिवहन डिपो की स्थापना करने,
		10. कस्बा मंगलौर में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम, इन्डोर वैडमिन्टन कोर्ट एवं व्यायामशाला की स्थापना करने,
		11. मंगलौर को फल पट्टी एवं मैंगो एक्सपोर्ट जोन घोषित करने,
		12. उत्तरांचल राज्य की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए गन्ना कमाण्ड एरिया के अनुसार राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने,
		13. नारसन ब्लाक, जनपद हरिद्वार में गन्ना और गेहूं शोध केन्द्र खोलने,
		14. गन्ना, धान, गेहू व अन्य कृषि उत्पादन जिनकी बिक्री सरकार के माध्यम से होती है, इन उत्पादनों की कीमत फसल बोने से पहले घोषित करने,
		15. गन्ना किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र कराये जाने,
		16. गन्ना किसानों का बेसिक कोटे के अतिरिक्त बाण्ड कराए गए गन्ने को चीनी मिलों द्वारा खरीद सुनिश्चित करने,
		17. जब तक वर्ष, 2002-2003 का पूरा गन्ना समाप्त न हो जाए तब तक उत्तरांचल राज्य की चीनी मिलों को चलाए रखने,

...20/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

18. चीनी मिले एवं गन्ना सोसाइटियों द्वारा किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक निःशुल्क उपलब्ध कराने,
19. चीनी मिलों एवं गन्ना सोसाइटियों द्वारा गन्ना क्षेत्र में नए मार्गो का निर्माण कराने एवं पुराने मार्गो की मरम्मत कराने,
20. दुधारू एवं कृषि के उपयोग होने वाले पशुओं का निःशुल्क उपचार एवं टीकाकरण करने,
21. अनूसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दुगुनी करने,
22. किसान, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को दोगुना करने,
23. अनुसूचित जाति के लोगों के अस्थाई पट्टे पर लाभार्थियों को अस्थाई स्वामित्व प्रदान करने,
24. रुड़की को हैन्डीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जोन घोषित करने,
25. मंगलौर गुड़ मण्डी से व्यापारियों का पलायन रोकने के लिए और मण्डी के सुधार के लिए नई योजना की घोषणा करने।"

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
18.	श्री काशी सिंह ऐरी डा0 नारायण सिंह जन्तवाल श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थाई राजधानी का चयन एवं निर्माण करने,
2. राज्य में जमीनों की मनमानी खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत् विशेष प्रावधान लागू किये जाने,
3. मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में,
4. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों के बटवारे का निस्तारण निश्चित समयावधि के भीतर किये जाने,
5. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी अधिकारियों, शिक्षकों, एवं कर्मचारियों को अविलम्ब उत्तर प्रदेश वापस भेजे जाने,

...21/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

6. प्रभावी रोजगार नीति बनाकर एक निश्चित अवधि के भीतर शिक्षित, प्रशिक्षित एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
7. प्रदेश के मानव संसाधन के समुचित विकास एवं उपयोग हेतु एक कारगर शिक्षा नीति बनाये जाने,
8. उत्तरांचल राज्य की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए कारगर औद्योगिक नीति बनाये जाने,
9. प्रदेश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के मध्येनजर एक माइक्रोलेबल आधारित कारगर कृषि नीति बनाये जाने,
10. प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने के बकाया भुगतान सहित, न्यूनतम 100 एक सौ रूपया प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने,
11. बिन्दुखत्ता, बग्घा चव्वन, दमुवांढूंगा सहित सभी बन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
12. कस्तूरी मृग बिहार अस्कोट सहित विभिन्न वन्य जन्तु अभयारण्यों में सम्मिलित अनावश्यक क्षेत्र को अभयारण्यों से मुक्त किये जाने,
13. धारचूला-मुंस्यारी तहसीलों को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने,
14. राज्य बनने के पश्चात् नये जनपदों, तहसीलों, एवं विकास खण्डों के सृजन,
15. धारचूला, मुंस्यारी, डीडीहाट, जोशीमठ तहसीलों की भांति सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के नौजवानों की सेना में भर्ती की योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण किये जाने,
16. आई0टी0पी0एल0 वीरभद्र-ऋषिकेश को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने एवं वी0आर0एस0 का विकल्प न अपनाने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समायोजित किये जाने,
17. टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कारगर कार्यवाही किये जाने।"

...22/...

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15.	श्री बलवीर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के कियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने, 2. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तो में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने, 3. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूला पुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाईस्कूल, 5 स्वास्थ्य उप केन्द्रो की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने, 4. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मसिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने, 5. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मसिस्टों, बी0एड़0, वी0पी0एड़0, सी0पी0एड़0, डिप्लोमा इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने, 6. प्रदेश में समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, 7. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने, 8. जनपद टिहरी गढ़वाल में धमातोली, दोणी में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने, 9. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने, 10. जनपद टिहरी गढ़वाल के गोना एवं बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवी आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास करने,

...23/..

कं.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त बासर नहर, पुण्डारा नहर, लुवा नहर, दुरानी नहर, भड़कोट नहर, गांफल नहर, डोखर नहर, श्रीकोटर गांव नहर, खबाड़ा नहर, सिरवाणी नहर, अगुण्डा नहर, भिगुन नहर, मैल्डगांव दला नहर, देवला नहर, जखाणा नहर, उखन्द्रा नहर, चानी नहर निवालगांव नहर, पोखर नहर, डांगभद्री नहर, कण्डारस्यूं नहर, जखेड़गांव नहर, पदोखा नहर, थाति नहर, जखाली नहर, सिल्यारा नहर, चामा नहर, केमरा नहर, खोला नहर, अन्दरिया नहर, असेना नहर, पौनाड़ा नहर, भट्ट गांव नहर छतियारा नहर, घटबाड़ा नहर, केवला नहर चकचोंड नहर आदि 52 क्षतिग्रस्त नहरों का पुर्ननिर्माण करने,
		12. टिहरी बांध प्रभावितों के प्रत्येक परिवार को रोजगार व पुनर्वास करने तथा प्रत्येक अवयस्क को पूर्ण परिवार का दर्जा देने,
		13. जनपद टिहरी गढ़वाल के कोट विशन, पटागली, थौणीखाल, घनसाली बहेड़ा, मगरों आदि हाईस्कूलों का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण करने तथा जू0 हा0 स्कूल-केपार्स, कठैती, पाख तल्यावन फलेण्डा, रगड़ी, जसपुर का हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने,
		14. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में घनसाली-अखोड़ी-मूलगढ़ मोटर मार्ग, घनसाली-धुत्तु-देवलंग मोटर मार्ग, चमियाला-कोटालगांव-लम्ब गांव मोटर मार्ग, मूलगढ़-थार्ती मोटर मार्ग, घनसाली-बूढ़ाकेदार झाला मोटर मार्ग, विनकखाल मोटर मार्ग का सुदृढीकरण व डामरीकरण करने,
		15. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से मुफ्त विजली देने,
		16. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र को नियमित करने,
		17. पर्यटन विकास के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-घनसाली में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों-बूढ़ाकेदार, धुत्तु मासरताल, जरालताल, मज्याइताल, लम्बताल, लिंग ताल, मासू ताल, सहस्त्रताल, क्यारखी बुग्याल, कुश कल्याण वुग्याल, झल्ला, वेलक खतलिंग गंगी, पिन्सवाड़, विशोल पर्वत, जगढीशिला, रतकोट मासरताल, वालासुन्दरी, वेलेश्वर, ढूढाधारी, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हटकुणी, तिनगडिया, रानीगढ़ को चिन्हित कर विकसित करने,

...24/...

18. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
19. होमगार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/- रूपये की वृद्धि करने,
20. उ0प्र0 के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उ0प्र0 भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने,
21. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के वाटाघाट के घायलों/पीड़ितों व प्रमुख आन्दोलनकारियों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने,
22. प्रदेश के अंशकालिक पी0टी0सी0 कार्यकर्त्ताओं को नियमित किये जाने,
23. फलोत्पादन बीमा लागू करने,
24. जनपद-टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ स्थान-बूढाकेदार विनकखाल, दयूड़ा घनसाली, भटगांव, के पास एड़ी, पणचुरी, सरस्वती सैण, स्यूरी, पिन्सवाड़ गंगी, गेंवाली, पट्टुड़गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त संख्या में खोले जाने,
25. जनपद-टिहरी गढ़वाल के चुरेरना बालगंगा होलाणाखाल, पौखाल में विकास खण्ड खोले जाने,
26. टिहरी बांध के कारण जनपद टिहरी गढ़वाल का भूगोल परिवर्तित होने के कारण घनसाली तहसील को पृथक कर पूर्ण जिला घोषित करने,
27. जनपद-टिहरी गढ़वाल के धर्मगंगा में कोटी अगुण्डा के बीच झूला पुल बनवाने तथा बाल गंगा नदी पर पढोखा व भिलंगना नदी पर देवलंग व मेण्डू के बीच झूला पुल निर्माण की स्वीकृति दिये जाने तथा पंगेठी में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनकखाल में इंन्जिनियरिंग कालेज खोलने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान अखोड़ी के महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
30. भिलंगना विकास खण्ड में फलपट्टी योजना बनाये जाने,
31. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यो हेतु शिथिल किये जाने,
32. जनपद-टिहरी गढ़वाल के ग्राम सरकण्डा में लिफ्ट पेयजल योजना को स्वीकृत किए जाने,
33. भटगांव-लोढस, आर्स पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति किये जाने,

...25/...

34. रीह से गंगी, लाटा से चूलागढ़, बूढ़ाकेदार से ज्वालामुखी, जगढीगाड़ से जगदीसिला, दल्ला से किमुण्डाखाल की यातायात व्यवस्था हेतु रज्जूमार्ग लगाए जाने,
35. बूढ़ाकेदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाये जाने,
36. मूलगढ़-ठेला-गण्डाराखाल मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण किए जाने,
37. वूढ़ाकेदार, विनकखाल, जगदीशिला में स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने,
38. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने"।